बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0–16/ए.1–16/05– स्वास्थ्य विभाग (देशी चिकित्सा निदेशालय) का अधिसूचना या–950(दे0चि0) दिनांक–09.11.10 के द्वारा राज्य के आयुर्वेदिक कॉलेजों के शैक्षणिक पदाधिकारियों विभागशः सम्वर्गीय वरीयता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित की गयी है।

समादेश याचिका संख्या–2317/2006 डा0 (श्रीमती) शन्नो गुप्ता बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–30.01.12 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुसार उक्त अंतिम रूप से प्रकाशित आयुर्वेदिक कॉलेजों के शैक्षणिक पदाधिकारियों की वरीयता सूची को निरस्त करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–15784 दिनांक–26.08.1972 के नियम 3(1) सी. के आलोक में पुनः वरीयता सूची निर्धारित करने का आदेश पारित किया गया है ।

दिनांक–30.01.12 को पारित न्याय निर्णय एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के शैक्षणिक मापदंड तथा अन्य संगत नियमों के आलोक में औपबंधिक वरीयता सूची का निर्धारण किया जाता है ।

औपबंधिक वरीयता सूची के प्रकाशन की तिथि से एक पक्ष के भीतर प्राप्त आपत्ति/अभ्यावेदनों पर उसके 15 दिनों के बाद अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

इस वरीयता सूची के प्रकाशन में निम्नलिखित नितियॉ एवं सिद्धांत अपनाये गये हैं:–

1.राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक पदाधिकारियों की आपसी वरीयता निर्धारित कर अंतिम रूप से दिनांक–09.11.10 को अधिसूचित किया गया है । परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–30.01.12 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में पूर्व से अधिसूचित अंतिम वरीयता सूची को निरस्त करते हुये निर्देशानुसार वरीयता सूची तैयार करने का निदेश है । इन शैक्षणिक पदाधिकारियों यथा व्याख्याता, प्रवाचक, प्राध्यापकों की अंतिम वरीयता सूची के प्रकाशन हेतु आपसी वरीयता निर्धारण के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या–15784 दिनांक–26.08.72 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम शैक्षणिक मापदंड के आलोक में वरीयता निर्धारण हेतु निम्न सिद्धान्त अपनाये गये हैं ।

2 (क) एक समव्यवहार में नियुक्त चिकित्सकों की आपसी वरीयता अनुशंसित मेरिट के आधार पर होगी। प्राध्यापक प्रवाचक से, प्रवाचक व्याख्याता से वरीय होंगे ।

(ख) उपर्युक्त (क) से भिन्न चिकित्सकों के संबंध में उनकी वरीयता प्रदर्शक/व्याख्याता के पद पर नियुक्ति/समायोजन की तिथि के आधार पर होगी । यदि प्रदर्शक/व्याख्याता के पद पर नियुक्ति/समायोजन की तिथि एक है तो अधिक उम्र वाले चिकित्सक वरीय होंगे ।

3.निजी महाविद्यालयों के सरकार द्वारा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप चिकित्सक– शिक्षकों के समायोजन की तिथि को उनकी सरकारी सेवा में प्रथम योगदान की तिथि मानी जायेगी ।

4.भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के जन सूचना पदाधिकारी के पत्रांक–मिसिल संख्या–20–50/ 2011(आर.टी.आई.)–7 दिनांक–11.7.11 के आलोक में उद्यान निरीक्षक/उद्यान पदाधिकारी के नाम से कोई पद भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा बनाये गये न्यूनतम मानकों में सम्मिलित नहीं है । ज्ञातव्य हो कि संकल्प संख्या 04(दे0चि0) दिनांक–02.01.92 के द्वारा उद्यान निरीक्षक/उद्यान पदाधिकारी के पदधारक को स्नातकोत्तर अर्हता धारक होने के फलस्वरूप व्याख्याता के रूप में समायोजित कर समायोजन की तिथि से वरीयता का आकलन किया गया है।

5.सेवानिवृत्त तथा मृत अध्यापकों का नाम वरीयता सूची से हटा दिया गया है ।

18.2.13

E:\ashok\LETTER\bariyta.docx